

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़

Telephone No. 07774-204006

Email- deanmedicalcollegesurguja@gmail.com

// सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन //

अम्बिकापुर, दिनांक 15/09/2017

क्रमांक/2837/शा.चि.म./स्था-3/2017, छ.ग.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ 3-48/2016/नौ/55-4/नया रायपुर दिनांक 20.09.2016 एवं पत्र क्रमांक/1538/1472/2017/नौ/55-4/नया रायपुर दिनांक 22.06.2017 के द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छ.ग. के लिये स्वीकृत तृतीय श्रेणी के पदों को सीधी भर्ती से भरने की प्राप्त अनुमति के परिप्रेक्ष्य में, तृतीय श्रेणी के निम्नानुसार तालिका में दर्शित स्टाफ नर्स (पुरुष परिचारक/ महिला परिचारिका) के रिक्त पद के लिए छ.ग. राजपत्र, दिनांक 17 अप्रैल 2012 में प्रकाशित, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर दिनांक 17 अप्रैल 2012 एवं संशोधन अधिसूचना 11 अप्रैल 2014 के द्वारा 'छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी परिचर्या सेवा भर्ती नियम 2012, के तहत पात्रता रखने वाले केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी इच्छुक उम्मीदवारों से निम्नलिखित आरक्षण, विहित शैक्षणिक अर्हताएं नियम एवं शर्तें तथा चयन प्रक्रिया के तहत, सीधी भर्ती हेतु दिनांक 03 अक्टूबर 2017 से दिनांक 14 अक्टूबर 2017 की मध्यरात्रि 11:59 बजे तक <http://cg.nic.in/surguja/gmcstaffnurse> पोर्टल पर केवल ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा किये गये या विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा:-

—:तालिका:—

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर हेतु विज्ञापित पद की वर्गवार रिक्तियाँ, आरक्षण एवं वेतनमान:-

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियाँ	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ.ग. के सरगुजा संभाग की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद (OL)				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				वेतनमान+ग्रेड वेतन एवं (7वें वेतनमान अनुसार समतुल्य वेतन लेवल व मैट्रिक्स)
			UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	स्टाफ नर्स (पुरुष परिचारक एवं महिला परिचारिका)	166	42	09	92	23	12	02	27	06	02	-	05	01	04	-	09	02	5200-20200 ग्रेड पे 2800 (Level 7 as per 7 th pay Matrix 28700-91300)
	शा.चि.म. एवं सम्बद्ध चिकि. अम्बिकापुर हेतु कुल योग	166	42	09	92	23	12	02	27	06	02	-	05	01	04	-	09	02	

(एक) विज्ञापित पद हेतु विहित शैक्षणिक अर्हतायें :-

क्रं.	पदनाम	विहित शैक्षणिक अर्हतायें
1	2	3
1	स्टाफ नर्स (पुरुष परिचारक एवं महिला परिचारिका)	1. बी.एस.सी. नर्सिंग या पोस्ट बेसिक (बीएससी नर्सिंग) प्रशिक्षण उत्तीर्ण। 2. केन्द्रीय/छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन।

(दो) नियम एवं शर्तें :-

- (1) उपरोक्त भर्ती छ.ग. राजपत्र, दिनांक 17 अप्रैल 2012 में प्रकाशित, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर दिनांक 17 अप्रैल 2012 के द्वारा 'छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी "परिचर्या" सेवा भर्ती नियम 2012 एवं संशोधन अधिसूचना 11 अप्रैल 2014 के तहत होगी।
- (2) पदों की संख्या परिवर्तनीय है। पद की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक या विलोपित की जा सकेगी।
- (3) विज्ञापित पदों हेतु आवेदन, केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (4) छ.ग. शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
- (5) उक्त पद हेतु उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये वेतनमान एवं ग्रेड वेतन के समतुल्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन तथा अन्य भत्तों की पात्रता होगी।
- (6) स्टाफ नर्स (पुरुष परिचारक एवं महिला परिचारिका) पद हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन <http://cg.nic.in/surguja/gmstaffnurse> लिंक पर किये जा सकेंगे।
- (7) ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं जानकारी "कंडिका-सात" ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश का अध्ययन कर दिये गये निर्देशानुसार ऑनलाईन आवेदन करें।
- (8) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन रायपुर के अधिसूचना क्रं./एफ 1-1/2012/1-3 नया रायपुर दिनांक 25.02.2017 के परिप्रेक्ष्य में, उक्त विज्ञापित पदों पर भर्ती हेतु केवल सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे।
- (9) आरक्षित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) के, अंतर्गत आने वाले आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम राजस्व अधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- (10) अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलेयर को छ0ग0 शासन के नियमानुसार आरक्षण की पात्रता होगी।
- (11) दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्त पद पर आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु अभ्यर्थी को कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त होने संबंधी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (12) भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित रिक्त पद पर आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु अभ्यर्थी को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों द्वारा जारी किया गया भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

- (13) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तक, अभ्यर्थी का सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिले के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
- (14) किसी शासकीय कार्यालय/संस्था में नियोजित उम्मीदवारों को नियोक्ता प्राधिकारी के कार्यालय से अनापत्ति व अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (15) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर की जावेगी। परीवीक्षा की कालावधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परीवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, कर्मचारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परीवीक्षावधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- (16) प्रमाण-पत्रों के सत्यापन इत्यादि हेतु पात्र अभ्यर्थी को बुलाये जाने की स्थिति में किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (17) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ पूर्ण होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं पाये जाने पर चयन के किसी भी स्तर में आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जावेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकार योग्य नहीं होगा।
- (18) ये नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं रिट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्वधीन रहेगी।
- (19) किसी भी विवाद/आपत्ति में अंतिम निर्णय नियोक्ता प्राधिकारी का होगा।
- (20) विज्ञापन, चयनप्रक्रिया के किसी सूची अथवा दस्तावेज में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत् सूचना प्रकाशित होगी। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
- (21) राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा अवचार के दोषी/निलंबित/बर्खास्त/ब्लैक लिस्टेड किया हुआ व्यक्ति नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- (22) आवेदित उम्मीदवारों के दस्तावेजों को सत्यापन हेतु चाहे जाने पर तथा चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ एवं छायाप्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (23) चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (24) चयनित उम्मीदवार का चारित्रिक सत्यापन उनकी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् पुलिस विभाग से कराया जायेगा, और पुलिस विभाग से अयोग्य प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
- (25) यदि कोई विवाहित महिला उम्मीदवार अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्शित उपनाम में कोई परिवर्तन कर रही हैं, तो उपनाम परिवर्तन संबंधी मूल शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- (26) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के झूठे (फर्जी/गलत) या कूटरचित पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की सकेगी।



(तीन) शुल्क :-

ऑनलाईन आवेदन हेतु अनारक्षित वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रू. 300.00 (शब्दों में तीन सौ रूपये मात्र) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रू. 200.00 (शब्दों में दो सौ रूपये मात्र) निम्नानुसार उल्लेखित बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य होगा :-

- 1- बैंक एकाउंट का नाम - अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर
- 2- बैंक का नाम - भारतीय स्टेट बैंक
- 3- एकाउंट नंबर - 35919173143
- 4- IFSC Code - SBIN0000310
- 5- उपरोक्त बैंक एकाउंट में संवर्गवार निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक से प्राप्त रिफरेंस नंबर/जर्नल नंबर, राशि एवं दिनांक का उल्लेख अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करते समय पोर्टल के निर्धारित स्थान पर दर्ज करना होगा।
- 6- प्रत्येक उम्मीदवार बैंक से प्राप्त रिफरेंस नंबर/जर्नल नंबर युक्त जमापत्री को सुरक्षित संभालकर रखें, जिसे दस्तावेज सत्यापन के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
- 7- उपरोक्त आवेदन शुल्क के अतिरिक्त बैंकिंग प्रक्रिया में लगने वाले अन्य सेवाशुल्क अभ्यर्थी स्वयं वहन करेंगे।
- 8- आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

(चार) निरर्हता :-

- (1) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो, पद के लिए पात्र नहीं होगा।
- (2) छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अनुसार कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
- (3) कोई भी आवेदक जिसने विवाह के लिए शासन द्वारा नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो वह नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।
- (4) उम्मीदवार की नियुक्ति, कर्तव्यों को पूरा करने हेतु उसके मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण तथा चरित्र सत्यापन के अध्याधीन होगी।
- (5) आवेदक द्वारा उपरोक्त पदों हेतु अपनी अभ्यर्थिता/चयन के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास/किसी तरह की सिफारिश/पैरवी या अनुचित दबाव का प्रयोग अयोग्यता मानी जावेगी।

(पाँच) आयु सीमा :-

- (1) आवेदक की आयु 01 जनवरी 2017 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए।
- (2) उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी।
- (3) शासकीय सेवा में एक या अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) आयु के समर्थन हेतु संबंधित प्रमाण पत्र/अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

(छः) चयन प्रक्रिया :-

- (1) स्टाफ नर्स (पुरुष परिचारक एवं महिला परिचारिका) पद के लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा (स्कूटनी) कर पदवार पात्र/अपात्र की समेकित सूची शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर/सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर के नोटिस बोर्ड व सरगुजा जिले की वेबसाईट पर प्रकाशित की जाकर दावा-आपत्ति आमंत्रित की जायेगी। इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी जायेगी।
- (2) दावा-आपत्ति के निराकरण उपरान्त अनंतिम रूप से पात्र आवेदकों की मेरिट सूची पृथक-पृथक संवर्गवार तैयार की जायेगी।
- (3) न्यूनतम शैक्षणिक व वांछित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र के अतिरिक्त उच्च शिक्षा के प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने पर कोई अतिरिक्त अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- (4) स्टाफ नर्स (पुरुष परिचारक/महिला परिचारिका) पद के आवेदन पत्रों की संवीक्षा पश्चात्, आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा की सूचना सरगुजा जिले की वेबसाईट www.surguja.nic.in एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जावेगी।
- (5) विज्ञापित पदों की संख्या से अत्यधिक संख्या में आनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में पदों की संख्या के 01 अनुपात 10 गुणांक तक अभ्यर्थियों को अपने प्रवर्गवार मेरिट के क्रम के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा।
- (6) चयन समिति के निर्णयानुसार अंतिम मेरिट सूची के अनुरूप तथा सरगुजा संभाग के आरक्षण रोस्टर अनुसार चयन समिति द्वारा प्रावधिक एवं अंतिम चयन सूची नियमानुसार जारी की जायेगी। अभ्यर्थी का नाम सूची में होने मात्र का यह आशय नहीं होगा कि उम्मीदवार नियुक्ति के लिये पात्र है।
- (7) मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त करने वाले एक से अधिक उम्मीदवारों को उनके जन्मतिथि के अनुसार अर्थात् जिनका जन्म पहले हुआ हो, उन्हें मेरिट क्रम में ऊपर रखा जावेगा।
- (8) भर्ती से संबंधित सभी जानकारियाँ, प्रावधिक/अंतिम वरियता सूची तथा पात्र अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन, संवीक्षा हेतु सत्यापन की तिथि इत्यादि संबंधी सूचना, सरगुजा जिले की वेबसाईट, समाचार-पत्रों तथा कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर के सूचना पटल के माध्यम से समय-समय पर दी जावेगी एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/सम्बद्ध चिकित्सालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जावेगी। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि सरगुजा जिले की वेबसाईट www.surguja.nic.in, समाचार पत्रों व महाविद्यालय/सम्बद्ध चिकित्सालय के नोटिस बोर्ड का सतत् अवलोकन करते रहें तथा उक्त सूचना के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निर्धारित स्थल में उपस्थित होंगे। अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार प्रकाशित सूचना/जानकारी प्राप्त नहीं होने संबंधी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा इसके लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
- (9) अंतिम मेरिट सूची में पदों की संख्या अनुसार संवर्गवार एवं संगत श्रेणीवार चयन किये जाने के उपरांत वर्गवार एवं संगत श्रेणीवार पदों की संख्या के दो गुणित संख्या में मेरिटवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। तदानुसार नियुक्ति आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त की जावेगी। किसी भी स्थिति में समयवृद्धि का लाभ नहीं दिया जायेगा। तत्पश्चात् वर्गवार एवं संगत श्रेणी की प्रतीक्षा सूची से प्रथम अभ्यर्थी को नियुक्त किया जावेगा। सभी पदों के वास्तविक रूप से भरे जाने तक यह प्रक्रिया अनवरत् जिस कैलेण्डर वर्ष में जारी हो रही है उस कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक के लिये जारी/मान्य रहेगी। तत्पश्चात् यह प्रतीक्षा सूची कालातीत हो जायेगी।



(सात) ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश :-

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित मापदण्ड अनुसार शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य अर्हता रखते हैं। किसी भी प्रकार की गलत एवं भ्रामक जानकारी की प्रविष्टि करने पर अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा एवं अभ्यर्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। सभी अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि आवेदक का स्केन किया हुआ फोटो एवं हस्ताक्षर (JPG फार्मेट में) सुरक्षित कर लिया है एवं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उक्त स्केन हुआ फोटो एवं हस्ताक्षर की साइज 100KB से अधिक न हो।

- (1) विज्ञापित पद हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिये अभ्यर्थी को <http://cg.nic.in/surguja/gmcstaffnurse> लिंक पर क्लिक करना होगा।
- (2) नया आवेदन भरने के लिये "नया आवेदन भरें" पर क्लिक करें।
- (3) अभ्यर्थी अपना पूरा नाम हिन्दी में लिखें (हिन्दी भाषा में टाइप करने के लिये आवेदक का नाम हिन्दी में दिये गये लिंक पर क्लिक कर यहां पर ENGLISH बटन पर क्लिक करें जिसके बाद दिये गये भाषाओं में से हिन्दी भाषा का चयन करें। अब अपना नाम लिखें जैसे:- R A A M लिखने पर राम आयेगा, जिसे सलेक्ट कर कॉपी कर लेवें, इसके बाद उसे नया आवेदन वाले फार्म के पहले वाले टैब्लेट बाक्स में पेस्ट कर लेवें।
- (4) आवेदक अपना पूरा नाम अंग्रेजी में टाइप करें, पिता का नाम अंग्रेजी में टाइप करें।
- (5) पत्र व्यवहार का पूरा पता अंग्रेजी में पिन कोड नम्बर सहित टाइप करें।
- (6) दिये गये लिंग (महिला या पुरुष) में से एक का चयन करें।
- (7) जन्म तिथि को सलेक्ट करें।
- (8) दिये गये जाति में से अपना जाति प्रवर्ग का चयन करें।
- (9) यदि आप सरगुजा संभाग के निवासी हैं हॉ/नहीं का चयन करें।
- (10) यदि आप दिव्यांग हैं तो हॉ/नहीं का चयन करें।
- (11) यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो हॉ/नहीं का चयन करें।
- (12) आप जिस पद के लिये आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें।
- (13) अपना 10 अंको का मोबाइल नम्बर एवं 12 अंको का आधार नम्बर, ईमेल प्रविष्टि करें।
- (14) इसके पश्चात सुरक्षित बटन को क्लिक करें। सभी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अगली स्क्रीन पर यूजरनेम एवं पासवर्ड प्रदर्शित होगा जिसे आप सावधानी पूर्वक नोट कर लीजिये। क्योंकि इसी यूजर नेम एवं पासवर्ड से आप लॉगिन कर अन्य चाही गई जानकारी प्रविष्टि कर सकते हैं।
- (15) इसके पश्चात अपना यूजरनेम एवं पासवर्ड से लॉगिन होकर अन्य जानकारी शैक्षणिक योग्यता, रोजगार पंजीयन विवरण, अनुभव, छ.ग. राज्य नर्सिंग कौंसिल का जीवित पंजीयन इंद्राज कर हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड करें। समस्त जानकारी की प्रविष्टि जैसे फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता, एक बार चेक कर, सत्यापन वाले चेकबाक्स में चेक कर (जिसमें राईट का चिन्ह दिखे) सुरक्षित करें। एक बार सत्यापन करने के पश्चात कोई भी जानकारी बदली नहीं जा सकेगी। किसी भी गलत जानकारी की प्रविष्टि के लिये केवल अभ्यर्थी ही जिम्मेदार होंगे।
- (16) इसके पश्चात अपने आवेदन का विवरण PRINT APPLICATION से देख लेवें, अगर सभी जानकारी सही है तो आप आवेदन को प्रमाणित करें। प्रमाणित करने के बाद आप अपने आवेदन का प्रिन्ट ले सकते हैं। (प्रिन्ट करने के लिये अपने ब्राउजर के POPUP को UNBLOCK करें।
- (17) आनलाईन आवेदन में आवेदन शुल्क की जानकारी संबंधी निर्देश :- आनलाईन आवेदन हेतु अनारक्षित वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रु. 300.00 (शब्दों में तीन सौ रुपये मात्र) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रु. 200.00 (शब्दों में दो सौ रुपये मात्र) अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक अम्बिकापुर के एकाउंट नंबर 35919173143 IFSC Code SBIN0000310 जमा करना होगा। राशि जमा करने के उपरान्त बैंक से प्राप्त रिफरेन्स नंबर/जर्नल नंबर, राशि एवं दिनांक का उल्लेख अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करते समय पोर्टल के निर्धारित स्थान पर दर्ज करना होगा। प्रत्येक उम्मीदवार बैंक से प्राप्त रिफरेन्स नंबर/जर्नल नंबर युक्त जमापत्रों को सुरक्षित संभालकर रखें, जिसे दस्तावेज सत्यापन के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त आवेदन शुल्क के अतिरिक्त बैंकिंग प्रक्रिया में लगने वाले अन्य सेवाशुल्क अभ्यर्थी स्वयं वहन करेंगे। आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

(आठ) महत्वपूर्ण सूचना :-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाईन आवेदन करे।

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
2. अभ्यर्थियों की तैयार सूची में पात्र पाये जाने, दस्तावेजों का सत्यापन हेतु आहूत किये जाने अथवा लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा की आवेदक को अर्ह मान लिया गया है।
3. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
4. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों का तथा निर्धारित ऑनलाईन पोर्टल में वांछित सभी जानकारी सावधानीपूर्वक देख कर सही एवं पूर्ण जानकारी भरे, यदि आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि एवं अपूर्णता की दशा में चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को बिना सूचना दिये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
5. नियुक्ति के संबंध में नियोक्ता प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। शासन के द्वारा समय-समय पर प्रसारित दिशा-निर्देश/नियम लागू होंगे।



अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, (छ.ग.)